बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक .... / पटना, दिनांक ....

06 / पणन (स०)–159 / 2023

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
वीरचन्द पटेल मार्ग, बिहार पटना।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में 38700 (अड़तीस हजार सात सौ) मे0टन भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु 200 मे0टन, 500 मे0टन एवं 1000 मे0टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रू0 27,92,60,828 / – (सताईस करोड़ बानवे लाख साठ हजार आठ सौ अठाईस) मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

राज्य में विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में पैक्सों एवं व्यापारमंडलों की बढ़ती भूमिका यथा धान / गेहूँ अधिप्राप्ति, जन वितरण संबंधी कार्य एवं कृषि में प्रयोग होनेवाले खाद्यानों की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पैक्स / व्यापारमंडल सहकारी समितियों के आधारभूत संरचनाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि रोडमैप अन्तर्गत वर्ष 2023–28 में भूमि के उपलब्धता के आधार पर 200, 500 या 1000 मे॰टन क्षमता के गोदाम की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कृषि रोड मैप 2023–28 के लिए अनुमानित लक्ष्य के मद्देनजर पैक्सों / व्यापारमंडलों में भंडारण क्षमता में 10 लाख मे॰टन अभिवृद्धि किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 38700 (अड़तीस हजार सात सौ) मे0टन भंडारण क्षमता के सृजन हेतु पैक्सों / व्यापारमंडलों में 200 मे0टन, 500 मे0टन या 1000 मे0टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए सूची में अंकित समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में कुल **रू0 27,92,60,828 / – (सताईस करोड़ बानवे लाख साठ हजार आठ सौ अठाईस)** मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102 गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान, विस्तृत शीर्ष–31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष–05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण, विपत्र कोड–09–2425007890102 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3. इस राशि का आवंटन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को दिया जायेगा तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा उक्त राशि का उप आवंटन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया जायेगा, जो इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 (वि०) दिनांक–17.04.98 एवं परिपत्र संख्या–7355 (वि०) दिनांक–05.10.07 के आलोक में उपलब्ध आवंटनानुसार स्वीकृत राशि का विपत्र BTC Form 42 में तैयार कर चयन समिति द्वारा चयनित समितियों की सूची (चयनित सूची संलग्न) के साथ संबंधित जिला के कोषागार में प्रस्तुत करेंगे तथा आवंटित राशि को खाता अन्तरण के माध्यम से संबंधित समितियों के लिए संधारित विशेष बचत खाता में समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में राशि हस्तांतरित करेंगे। इसके लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही वित्त विभाग के पत्रांक–8244 दिनांक–02.08.10 एवं पत्रांक–500 दिनांक–18.01.11 द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

4. राज्य योजना द्वारा पैक्सों/व्यापारमंडलों को गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी की वापसी योजना वर्ष के अगले वर्ष से 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में 10 वर्ष में की जायेगी। उक्त राशि की वापसी से बिहार राज्य सहकारी बैंक में एक Revolving Fund का सृजन तथा संधारण किया जायेगा। चक्रीय पूँजी का अभिलेख संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित होगा, जिसमें दी गई चक्रीय पूंजी का ब्योरा, किस्त वापसी की राशि एवं तिथि के साथ–साथ समितियों द्वारा राशि वापसी का भी ब्योरा होगा। बैंक के स्तर से राशि वापसी का पूरा ब्योरा अंकित करते हुए वापसी तिथि के एक माह पूर्व मांग पत्र समितियों को प्राप्त कराया जायेगा। राशि वापसी में चूक की स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

5. गोदाम निर्माण पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा उपलब्ध कराये गये भूमि पर किया जायेगा। व्यापार मंडलों में निर्माण कार्य हेतु भूमि संबंधित प्रखण्ड कार्यालय परिसर स्थित व्यापार मंडल हेतु कर्णांकित भूमि पर होगा। जिन प्रखण्डों में व्यापारमंडल के लिए भूमि कर्णांकित नहीं है, वहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध कराने हेतु सक्षम प्राधिकार से अधियाचना की जायेगी। भूमि की व्यवस्था के संबंध में विभागीय दिशा–निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

6. पैक्सों एवं व्यापारमंडलों का चयन विभाग द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया गया है। सूची में अंकित समितियों द्वारा गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। जिला स्तर पर निर्माण कार्यों का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। गुणवत्ता के अनुरूप कार्य कराने का दायित्व इस समिति पर होगा। मुख्यालय स्तर पर प्रगति का अनुश्रवण निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा किया जायेगा। गोदाम निर्माण कार्य का कार्यान्वयन पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा स्वयं किया जायेगा।

7. परियोजना का मॉडल नक्शा तथा प्राक्कलन बिहार राज्य भंडार निगम से तैयार कराते हुए भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है जो लाभान्वित समितियों तथा संबंधित जिला के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा परन्तु स्थानीय मानकों के आलोक में संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा अधिकृत अभियंता के स्तर पर प्रति इकाई लागत की अधिसीमा अन्तर्गत Structutral Design तथा प्राक्कलन जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में क्रियान्वयन/तकनीकी पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत असैनिक अभियंता द्वारा किया जायेगा।

8. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

9. गोदाम निर्माण हेतु चयनित समितियों की सूची के साथ अधियाचना प्राप्ति के आधार पर आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

10. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–2870 दिनांक 19.04.2021 के कम सं0–17 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक–26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक–4989/वि॰(2) दिनांक– 16.05.13 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र छः माह के अन्दर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से सहकारिता विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

12. विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.03.2025 को योजना प्रस्ताव पर दी गई अनुशंसा के आलोक में माननीय विभागीय मंत्री महोदय के अनुमोदनापरांत (संचिका संख्या– 06/पणन(स0)–159/2023 के पृ0 119/टि॰ दिनांक 10.03.2025), योजना प्रस्ताव पर माननीय वित्त मंत्री, वित्त विभाग, बिहार, का अनुमोदन (संचिका संख्या– 06/पणन(स0)–159/2023 के पृ0 128/टि॰ दिनांक 26.03.2025) प्राप्त है।

13. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा सहमति संचिका संख्या–06/पणन (स॰)–159/2023 के पृ0 सं0– 130/टि॰ पर दिनांक– 26.03.2025 को दी गई है।

14. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा सहमति संचिका संख्या–06/पणन (स॰)–159/2023 के पृ0 सं0– 131/टि॰ पर दिनांक– 26.03.2025 को दी गई है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह0/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 596 /पटना, दिनांक 26/03/25
06/पणन (स॰)–159/2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को मुहरबन्द लिफाफे के साथ।

2. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना।

3. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/माननीय मंत्री सहकारिता विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/कार्यवाह सहायक को 05 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ/आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

26.3.25
सरकार के अपर सचिव।

परिशिष्ट - 1

चयनित समितियों की सूची गोदाम निर्माण हेतु प्राक्कलन के दृष्टिगत है जो निम्न प्रकार है —

क्र0सं0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पैक्स / व्यापार मंडल का नाम	क्षमता (मे0टन)	राशि	अभियुक्ति
1	दरभंगा	केवटी	नयागाँव पश्चिमी	200	1712800	
2	बांका	चान्दन	उतरी कसवावसीला	500	3459500	
3	बांका	बेलहर	राजपुर	500	3459500	
[illegible]	बांका	रजौन	रजौन व्यापार मंडल	500	3459500	
[illegible]	बांका	बेलहर	घोडबहियार	500	3459500	
[illegible]	दरभंगा	केवटी	जलवारा पश्चिमी	500 .	3459500	
7	सारण	मशरक	खजुरी	500	3459500	
8	सारण	लहलादपुर	मिर्जापुर	500	3459500	
9	गोपालगंज	विजयीपुर	सरूपाई	500	3459500	
[illegible]	[illegible]	विजयीपुर	जगदीशपुर	500	3459500	
[illegible]	गोपालगंज	विजयीपुर	मुसहरी	500	3459500	
12	जमुई	झाझा	रजलाकला	500	3459500	
13	जमुई	सोनो	बाबडुडीह	500	3459500	
[illegible]	समस्तीपुर	हसनपुर	औरा	500	3459500	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1000	7267954	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1000	7267954	
[illegible]	बांका	बेलहर	सूर्यकोना बेलडीहा	1000	7267954	
18	बांका	बेलहर	तरैया	1000	7267954	
19	बांका	बेलहर	बहोरना	1000	7267954	
[illegible]	बांका	बांका	बहेरा / पडरिया	1000	7267954	
[illegible]	[illegible]	सिंहवाड़ा	सिंहवाड़ा व्यापार मंडल	1000	7267954	
22	सारण	मशरक	गंगोली	1000	7267954	
23	सारण	बनियापुर	गोवापिपरापाती	1000	7267954	
24	सारण	बनियापुर	मणिकपुरा	1000	7267954	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] पश्चिमी नगर पंचायत	1000	7267954	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	नदारपुर	1000	7267954	
[illegible]	वैशाली	पातेपुर	बरडीहा तुर्की	1000	7267954	
28	गोपालगंज	विजयीपुर	मझवलिया	1000	7267954	
29	गोपालगंज	विजयीपुर	खिरीडीह	1000	7267954	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1000	7267954	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1000	7267954	
[illegible]	जमुई	[illegible]	[illegible]	1000	7267954	
33	जमुई	जमुई	अडसार	1000	7267954	

564

34	जमुई	खैरा	अरूणाबांक	1000	7267954
35	जमुई	सोनो	लखनकियारी	1000	7267954
36	समस्तीपुर	सिंधिया	शालेपुर	1000	7267954
37	समस्तीपुर	मोहीउद्दीन नगर	हरैल	1000	7267954
38	समस्तीपुर	सरायरंजन	किशनपुर युसुफ	1000	7267954
39	समस्तीपुर	शिवाजीनगर	जाखर धर्मपुर	1000	7267954
40	समस्तीपुर	शिवाजीनगर	भटौरा	1000	7267954
41	समस्तीपुर	शिवाजीनगर	बल्लीपुर	1000	7267954
42	समस्तीपुर	शिवाजीनगर	रन्ना दहियार	1000	7267954
43	सहरसा	सोनवर्षा	काशनगर	1000	7267954
44	सहरसा	महिषी	तेलवा पश्चिम	1000	7267954
45	सहरसा	सौरबाजार	अजगैवा	1000	7267954
46	सहरसा	महिषी	महिषी व्यापार मंडल	1000	7267954
		कुल		38700	27,92,60,828 /–

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयनित सूची पर निब
समितियाँ, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त कर ली जाय।

[illegible] सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0 / –
(मो0 निसार अहमद),
संयुक्त निबंधक (साख),
[illegible]

ह0 / –
(श्रीमती स्मृति कुमारी),
विशेष कार्य पदाधिकारी,
सहकारिता विभाग
बिहार पटना

ह0 / –
(श्री संजय कुमार),
संयुक्त निबंधक (अके0),
स0स0 बिहार पटना।

ह0 / –
(श्री भरत कुमार),
संयुक्त निबंधक, स0स0,
बिहार, पटना

(श्री वि
संयुक
स

ज्ञापांक 1311 / पटना, दिनांक 6/2/25
04/नि0/योजना (योजना) -14/2020 (भाग-1)

प्रतिलिपि :– बैठक में उपस्थित सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

06/02

संयुक्त निबंधक (स्न
सहयोग समितियाँ, बिहार